न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 17/2026

श्री विपुल बैरागी निवासी म.न.5 चिन्तांपरा अंकित किराणा स्टोर के पास देवली तहसील देवली जिला टोंक पिन 304001 ——अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

<u>निर्णय</u> दिनांक **09.04.2026**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आनॅलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 30.12.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

1. प्रार्थी के दादाजी स्व. श्री महादेव वैरागी पुत्र श्री गुरुवर वैरागी के नाम से वर्ष 1970–1980 के मध्य जिला–टोंक में आवंटित भूमि आवास का संपूर्ण रिकॉर्ड प्रदान करें।
2. इस आवंटन का मुख्य संदर्भ RE-1 Form No- 324 तथा सीरियल नंबर (क्रम संख्या) 38 है। यह रिकॉर्ड पूर्वी पाकिस्तान विस्थापितों (East Pakistan DP) के पुनर्वास से संबंधित है।
3. राजस्व विभाग, सचिवालय जयपुर के पत्र संख्या 215040292954021 (दिनांक 25/12/2025) में भी इस रिकॉर्ड का उल्लेख किया गया है।
4. कृपया उक्त आवंटन की 'सनद' (Sanad) / अलॉटमेंट लेटर और मास्टर अलॉटमेंट रजिस्टर के उस पृष्ठ की स्कैन कॉपी प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं जहाँ प्रार्थी के दादाजी का नाम दर्ज है।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 271 दिनांक 10.02.2026, 377 दिनांक 24.02.2026 व 508 दिनांक 13.03.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 126 दिनांक 24.03.2026 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनां अस्पष्ट होने के कारण आवेदन पत्र खारिज किया जाकर उनके पत्र कमांक 41 दिनांक 06.01.2026 से अपीलार्थी को सूचित किया गया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(टीना डाबी)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर राजस्थान